खेल निदेशालय, उत्तराखंड,
देहरादून।

संख्या 7086/ब.आ.प./2007–2008/दे.दून/ 27 फरवरी 2008

1. सहायक निदेशक खेल, कुमायूं मण्डल, हल्द्वानी (नैनीताल)/पौढ़ी गढ़वाल, उत्तराखंड।

2. जिला क्रीड़ा अधिकारी, काशीपुर (उ.न.)/पिथौरागढ़/ देहरादून/हरिद्वार/ गोपेश्वर (चमोली)/अगस्तमुनि (रुद्रप्रयाग), उत्तराखंड।

विषय – **वित्तीय वर्ष 2007–2008 में बजट-आवंटन के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक चालू वित्तीय वर्ष 2007–2008 में अनुदान संख्या–11–आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक 2204–खेलकूद तथा युवा सेवाएं–00–104– खेलकूद के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार अतिरिक्त बजट आवंटित किया जाता है।

क्र. सं.	कार्यालय/जनपद का नाम	03– भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ी तथा पहलवानों को वित्तीय सहायता 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	04–क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाड़ियों पर व्यय 42– अन्य व्यय	05– क्रीडागनों का विकास 42–अन्य व्यय	16– प्रशिक्षण शिविरो का आयोजन 20–सहायक/अंशदान / राज सहायता	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	कार्यालय, सहायक निदेशक खेल, हल्द्वानी (नैनीताल)	–	50000.00	25000.00	–	75000.00
2	कार्यालय सहायक निदेशक खेल पौढ़ी गढवाल	–	40000.00	15000.00	–	55000.00
3	जिला खेल कार्यालय, हरिद्वार	–	–	30000.00	4000.00	34000.00
4	जिला खेल कार्यालय, काशीपुर (उ.न.)	–	–	8000.00	–	8000.00
5	जिला खेल कार्यालय, पिथौरागढ़	–	–	25000.00	–	25000.00
6	जिला खेल कार्यालय, गोपेश्वर (चमोली)	–	–	25000.00	–	25000.00
7	जिला खेल कार्यालय, अगस्तमुनि (रुद्रप्रयाग)	–	180000.00	–	–	180000.00
8	जिला खेल कार्यालय देहरादून	3000.00	30000.00	–	–	33000.00
	योग	3000.00	300000.00	128000.00	4000.00	435000.00

(चार लाख पैंतीस हजार मात्र)

(7)

1. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त–पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

2. धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण खेल निदेशालय को नियमित रूप से भेजे।

3. बजट मैनुअल वित्तीय हस्त–पुस्तिका स्टोर पर्चेज रूल्स डी.जी.एस. एण्ड डी की दर अथवा टैण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जाय।

4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–2008 के अनुदान संख्या–11–आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2204–खेलकूद तथा युवा सेवाएं–00–104–खेलकूद के अन्तर्गत प्रस्तर में उल्लखित सुसम्बद्ध इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

उक्त बजट को बजट कन्ट्रोल पंजिका के पृष्ठ संख्या **24** पर अंकित कर लिया गया है।

(एम. एस. [illegible])
निदेशक खेल

संख्या एवं तिथि तदैव।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखंड देहरादून।
2. सचिव खेल, उत्तराखंड शासन।
3. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखंड शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल)/पौड़ी/उधमसिंह नगर/ पिथौरागढ़/हरिद्वार/चमोली/ रुद्रप्रयाग/देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग–3 उत्तराखंड शासन।
6. एन.आई.सी., सचिवालय, देहरादून।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, उत्तराखंड

(आर.के. चतुर्वेदी)
अपर निदेशक खेल